

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं.420/2024

ख्याली राम पुत्र श्री सतपाल, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी चक 4 केएचएम
पीएस रावला तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये पीपी
- महेंद्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी चक 26 एपीडी 30 एपीडी
अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

----प्रत्युत्तरदातागण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री जयदेव सिंह भाटी
प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री पवन कुमार भाटी, पीपी
श्री त्रिलोक जोशी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् मनोज कुमार गर्ग

आदेशरिपोर्ट-योग्य**06/05/2025**

याचिकाकर्ता द्वारा धारा 397/401 सीआरपीसी के अंतर्गत यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम मामले, बीकानेर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 7/2024 में पारित आदेश दिनांकित 09.02.2024 के विरुद्ध की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354डी और पोक्सो अधिनियम की धारा 11(iii),(iv)/12 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप विरचित किये थे।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि परिवादी/प्रत्युत्तरदाता सं.2 ने संबंधित पुलिस थाने में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी अप्राप्तवय पुत्री को घर से अपहरण किए जाने की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त शिकायत पर, पुलिस ने धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर सं.0214/2023 दर्ज की और अन्वेषण आरंभ किया। अन्वेषण के पश्चात्, पुलिस ने वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354-डी और पोक्सो अधिनियम की धारा 11(iii)(iv)/

12 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और बहस के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त अपराध के लिए आरोप विरचित किये गए। अतः, यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता 'जी' ने धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथनों में विदिष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि वह स्वयं की इच्छा से घर से निकली और लगभग दो महीने तक कई स्थानों पर घूमती रही। महत्वपूर्ण रूप से, उसने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता सहित किसी ने भी उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया और न ही वह उससे मिली और न ही उसकी उससे कोई बातचीत हुई। इसके अतिरिक्त, उसका एकमात्र आरोप याचिकाकर्ता पर उसे वयस्क वीडियो दिखाने से संबंधित है, जो अकेले में एक आपराधिक अपराध का गठन नहीं करता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इस तरह के आचरण में प्रपीड़न, शोषण या अन्य अविधिविरुद्ध कृत्य शामिल थे। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किया गया ऐसा कोई अपराध निर्मित नहीं होता है। । इस प्रकार, आरोप विरचित किये जाने का आक्षेपित आदेश अवैध और अनुचित होने के कारण अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है।

विद्वान लोक अभियोजक और प्रत्युत्तरदाता सं.2 के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि आरोप विरचित किये के समय साक्ष्यों का पूरी बारीकी से परीक्षण आवश्यक नहीं है। आरोप विरचित किये जाने का आक्षेपित आदेश पूर्णतः न्यायोचित है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने के आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया गया।

पीड़िता 'जी' ने सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में विदिष्ट रूप से प्रकथन किया है कि उसने स्वेच्छा से घर छोड़ा और लगभग दो महीने तक बिना याचिकाकर्ता के या किसी के द्वारा क्षति पहुंचाए अकेली घूमती रही। उसने केवल इतना दावा किया कि याचिकाकर्ता ने उसे वयस्क वीडियो दिखाए।

पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय दंड संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के सुसंगत सम्बद्ध उपबंधों का परिशीलन आवश्यक होगा। ये प्रावधान नीचे उद्धृत हैं:

“354घ. पीछा करना.--(1) कोई भी व्यक्ति जो—

(i) किसी महिला का पीछा करता है और उस महिला से संपर्क करता है, या उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अरुचि के संकेत के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बार-बार उस महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है; या

(ii) किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग पर नज़र रखता है, पीछा करने का अपराध करता है:

11. यौन उत्पीड़न--किसी व्यक्ति को बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करने वाला तब कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से,--

(i) कोई शब्द बोलेगा या कोई ध्वनि निकालेगा, या कोई अंगविक्षेप करेगा या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय से प्रदर्शित करेगा कि ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग बालक द्वारा देखा जाएगा; या

(ii) किसी बालक को अपना शरीर या उसके शरीर का कोई भाग इस प्रकार प्रदर्शित करने को कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाई दे; या

(iii) किसी भी रूप या मीडिया में किसी भी वस्तु को अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे को दिखाता है; या

(iv) किसी बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करता है या देखता है या सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से उससे संपर्क करता है; या

(v) मीडिया के किसी भी रूप में, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से बच्चे के शरीर के किसी भाग का वास्तविक या मनगढ़ंत चित्रण या बच्चे को किसी यौन कृत्य में शामिल करने की धमकी देता है; या

(vi) किसी बालक को अश्लील प्रयोजनों के लिए फुसलाता है या उसके लिए परितोषण देता है।

स्पष्टीकरण.--कोई भी प्रश्न जिसमें 'यौन आशय' अंतर्वर्तित है, तथ्य का प्रश्न होगा।

याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 354-घ और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 11(iv) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित हैं, जो पीछा करने के कृत्यों को अपराध मानते हैं—विदिष्ट रूप से, किसी बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करना, उसे देखना या उससे सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या अन्य माध्यमों से संपर्क करना। हालाँकि, ऐसा आचरण तब तक किसी आपराधिक अपराध का गठन नहीं करता जब तक कि पीड़ित के कथन स्पष्ट रूप से पीछा करने के तथ्य की पुष्टि न करे।

कानूनी दृष्टिकोण से, आरोप विरचित किया जाना प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए जो अभियुक्त द्वारा अभिकथित अपराध के किए जाने को युक्तियुक्त रूप से उपदर्शित करते हैं। वर्तमान मामले में, पीड़िता द्वारा सीआर.पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में विशेष रूप से यह प्राख्यान किया गया है कि वह स्वेच्छा से अपना निवास छोड़कर गई थी और उसका

याचिकाकर्ता से न तो सामना हुआ और न ही उससे कोई वार्ता की। इसलिए, यह कथन आईपीसी की धारा 354डी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(iv) के अंतर्गत यथा परिभाषित पीछा करने के आवश्यक तत्वों को प्रमाणित करने में विफल रहता है। बार-बार पीछा करने, देखने या संपर्क करने की घटना का समर्थन करने वाले विश्वसनीय साक्ष्य के बिना, आरोप विरचित किया जाने का मूलभूत आधार मौलिक रूप से कमजोर हो जाता है।

विधिशास्त्र यह अभिपुष्ट करता है कि आरोप विरचित किये जाने की प्रक्रिया विश्वसनीय और पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल तथ्यात्मक आधारहीन आरोपों पर। "दोष सिद्ध होने तक निर्दोषता की उपधारणा" का सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देता है कि आपराधिक कार्यवाही हल्के में या ठोस साक्ष्य के बिना शुरू नहीं की जानी चाहिए। विश्वसनीय प्रमाण के बिना ऐसी कार्यवाही शुरू करने से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का खतरा होता है और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

इन विचारणाओं के आलोक में, आईपीसी की धारा 354डी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(iv) के अंतर्गत आरोप विरचित करने का आदेश अनुचित और कानूनी रूप से असंभार्य प्रतीत होता है। इस आदेश के आधार पर आगे बढ़ने के निर्णय में तथ्यात्मक और विधिक न्यायोचित्य दोनों का अभाव है। परिणामस्वरूप, आरोप विरचित करने के आदेश को अभिखंडित और अपास्त करना न्यायोचित है, क्योंकि ऐसा आदेश अवैध और अनुचित दोनों है, और इसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखने को न्यायोचित ठहराने के लिए अपेक्षित साक्ष्य आधार का अभाव है।

जहाँ तक पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(iii) के अंतर्गत अपराध का सम्बंध है, जो अनुबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्ररूप या माध्यम में किसी बच्चे को अश्लील प्रयोजन से कोई वस्तु दिखाता है, वह अपराध करता है। वर्तमान हस्तगत मामले में, पीड़िता ने विनिर्दिष्ट रूप से आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने उसे व्यस्क वीडियो दिखाए।।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 और 30 का व्यापक अध्ययन करने पर पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में, जहाँ यौन आशय को सिद्ध करना एक अनिवार्य तत्व है, विशेष न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा यौन आशय के तत्व को अपवर्जित करते हुए, यौन उत्पीड़न गठित करने वाले कृत्य का किया जाना साबित कर देने के बाद, वह ऐसे आशय के अस्तित्व की उपधारणा करे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तब सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे, अभिकथित कृत्य के संबंध में यौन आशय की अनुपस्थिति को सिद्ध करे। अभियुक्त के लिए यौन आशय

की उपधारणा को नकारने हेतु आवश्यक सबूत का मानक युक्तियुक्त संदेह से परे है, और संभाव्यता के संतुलन पर केवल सबूत देना अपर्याप्त है।

इन उपबंधों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(iii) के अंतर्गत आरोप विरचित करना उचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य और आरोप, विशेष रूप से वयस्क वीडियो दिखाने के संबंध में पीड़िता का प्राख्यान, इस धारा के तहत प्रथम दृष्टया मामले को पुष्ट करता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354क का अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:

“354क. यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए दंड.--

- (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई कार्य करेगा-
 - (i) शारीरिक संपर्क और अवांछित तथा स्पष्ट यौन प्रस्ताव; या
 - (ii) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध; या
 - (iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना; या
 - (iv) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना, यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

आईपीसी की धारा 354क की उप-धारा (iii) स्पष्ट रूप से यह कहती है कि अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बच्चे को किसी भी प्ररूप या माध्यम में कोई भी वस्तु दिखाना एक अपराध है। यह उपबंध अभिकथित कृत्य की प्रकृति के अनुरूप है और ऐसे आचरण पर अभियोजन चलाने के लिए एक स्पष्ट विधिक आधार प्रदान करता है।

आईपीसी की धारा 354क के तहत आरोप विरचित करने का निर्णय कानून की स्पष्ट शब्दावली पर आधारित है, जो अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बच्चे को कोई भी वस्तु दिखाने के कृत्य को दंडनीय बनाता है। चूंकि तथ्य और पीड़िता के आरोप यह पुष्ट करते हैं कि ऐसा आचरण हुआ था, और यौन आशय के संबंध में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा प्रावधानों को देखते हुए, आईपीसी की धारा 354क को लागू करना विधिक रूप से उचित और आवश्यक दोनों है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को सुसंगत दांडिक उपबंधों के अधीन जवाबदेह ठहराया जाए, जिससे बच्चों को यौन शोषण और अश्लीलता से बचाने के उद्देश्य से बने कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुकर हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभिकथित आचरण को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(iii) के अंतर्गत विद्यमान आरोप के अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 354क के अंतर्गत भी आरोप विरचित किये जाने को समुचित पाता है। बच्चों को अश्लीलता-संबंधी अपराधों से प्रभावी ढंग से अक्षुण्ण रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए

कि कानूनी कार्यवाही में अभिकथित कदाचार के सभी पहलुओं को संबोधित किया जाए, आईपीसी की धारा 354क को सम्मिलित करना न्यायोचित है।।

तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2024 को पारित आक्षेपित आदेश, जहाँ तक वह याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354घ और पोक्सो अधिनियम की धारा 11(iii)/12 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप विरचित करने की सीमा तक है, एतद्वारा अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को उक्त अपराधों से उन्मोचित किया जाता है। हालाँकि, पोक्सो अधिनियम की धारा 11(iii)/12 के अंतर्गत विरचित किए गए आरोप में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354क(iii) के अंतर्गत आरोप विरचित करने का निर्देश दिया जाता है।

स्थगन आवेदन भी निर्णीत किया जाता है।

(मनोज कुमार गर्ग),जे

74-एमएस/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी